

पत्र संख्या- भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम/26-27/

210 // राज्य कर

कार्यालय-आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश

(बजट अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक 05 अगस्त 2026

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,

राज्य कर उत्तर प्रदेश ।

शासन के पत्र संख्या-बी-3-221/दस-2026/ दिनांक 16-06-2026 द्वारा भवन मरम्मत/ विस्तार अग्रिम स्वीकृत करने हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, जिसके विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों को वितरित किया जाना है ।

जिन विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को भवन मरम्मत/ विस्तार अग्रिम की आवश्यकता है उनका प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप(संलग्न) में अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति सहित अयोहस्ताक्षरी को दिनांक 27-08-2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रार्थना पत्र विचार किया जा सकें । उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर चालू वित्तीय वर्ष में विचार करना संभव नहीं हो सकेगा ।

उक्त के अतिरिक्त मुख्यालय द्वारा जिन अधिकारियों / कर्मचारियों को पूर्व में प्रथम किशत के रूप में अग्रिम की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, एवं द्वितीय किशत प्राप्त करने के लिए उक्त तिथि तक शासन के पक्ष में भूमि का बंधक कराकर बंधक पत्र उपलब्ध कर दें जिस पर समयक विचार किया जा सकें ।

ह0/

(अशोक कुमार सिंह)

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर ,

उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

पृष्ठंकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।

- 1- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1/ग्रेड-2 राज्य कर उत्तर प्रदेश ।
- 2- समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्य0) राज्य कर उत्तर प्रदेश ।
- ✓ 3- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

1450

श्री. मंत्री पुरिमा
दिनांक 05-08-2026

राज्य कर,

दिनांक 05-08-2026

Digitally signed by
ASHOK KUMAR SINGH
Date: 05-08-2026
14:02:30

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर ,

उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

:: गृह निर्माण/मरम्मत अग्रिम के लिए प्रार्थना-पत्र ::

- 1- नाम.....
- 2- पिता/पति का नाम.....
- 3- घर का स्थायी पता.....
- 4- स्थाई पद अथवा मौलिक नियुक्ति.....
- ॥क॥ मूल वेतन.....
- ॥ख॥ स्थानापन्न वेतन.....
- ॥ग॥ विशेष वेतन.....
- ॥घ॥ ब्योरे सहित भात्ते.....
- 5- अधीनित अग्रिम की धनराशि.....
- ॥क॥ भूमि खरीदने के लिए.....
- ॥ख॥ मकान खरीदने के लिए.....
- ॥ग॥ मकान और स्लान भूमि खरीदने के लिए.....
- ॥घ॥ खरीदे जाने वाले मकान की मरम्मत के लिए.....
- ॥ङ॥ मकान फिर से बनवाने के लिए.....
- ॥च॥ पिछली बार अग्रिम की धनराशि से बत्ताये गये या खरीदे गये मकान की मरम्मत/विस्तार के लिए.....
- 6- खरीदे जाने वाले प्लॉट/मकान का पूर्ण विवरण और सही स्थान.....
- 7- यह सिद्ध करने के लिए आपके पास क्या विवरण प्रमाण-पत्र है। उक्त भूमि या मकान पर आपने निर्विवाद स्वामित्व प्राप्त कर लिया है या कर लेंगे और उसे सरकार के पास बंधक रखने में कोई आधा न पड़ेगा।
- 8- अग्रिम की धनराशि किस किस किशानों में बाँटी है और प्रत्येक किशान को कितना तक पूर्ण रूप से उपभोग कर लिए जाने की सम्भावना है।
- 9- मकान के निर्माण क्रय/मरम्मत के बाद उसमें कौन रहेगा.....
- 10- किसी ऐसे अन्य मकान का विवरण दीजिए जिसमें आप स्वामी या हिस्सेदार हो। उक्त मकान में अपने अग्र का मूल्य भी बताइए।
- 11- यदि कोई मकान बनवाने, खरीदने या उसकी मरम्मत इत्यादि कराने के लिए आपको इन निर्णयों के अधीन कोई अन्य अग्रिम धनराशि लेनी हो तो उसका पूर्ण विवरण दीजिए।
- 12- किसी मकान को खरीदने, बनवाने, मरम्मत करने या उसे फिर से बनवाने के लिए भूमिगत निर्माण से लिए गये स्थाई प्रमाणपत्र, फाउंडेशन विहाल का पूरा पूरा विवरण दीजिए।
- 13- जन्मतिथि का दिनांक.....
- 14- ॥क॥ सामान्यतः आप क्या निमा निवृत्त होंगे.....
- ॥ख॥ क्या आपका विचार है कि पहले से 0नि0 होने का है।
- 15- पत्नी कब से और किस दर से होनी चाहिए.....
- 16- क्या आपकी पत्नी/आपकी पुति राज्य सरकार कर्मचारी है ? यदि हाँ तो.....
- ॥क॥ उसका नाम पदनाम तथा कार्यालय का पता.....

अंकित करें।

४ख॥ यदि उन्होंने इन नियमों के अधीन किसी अग्रिम के लिए आवेदन पत्र दिया हो और/या अग्रिम लिया गया हो तो निम्नलिखित विवरण दें।

४क॥ आवेदन पत्र देने की तिथि

४ख॥ लिये गये अग्रिम का प्रयोजन

४ग॥ अग्रिम से खरीदे गये/बनाये गये/मरम्मत कराये गये भवन का विवरण जिसमें स्थान का उल्लेख अवश्य करें।

17- क्या आपने या उसकी पत्नी या उसके पति ने अपनी ओर से किसी आवश्यक बच्चे की ओर से किसी अन्य स्त्रोत/संस्था से गृह निर्माण अग्रिम/अर्ण हेतु प्रार्थना पत्र दिया है या कोई अन्य अग्रिम प्राप्त किया यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण दीजिए।

घोषणा पत्र

1. मैं सत्यानिष्टता से यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर बताई गई विभिन्न मदों के उत्तर में मैंने जो सूचना दी है, वह जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है सही है।
2. मैंने मकान बनवाने अग्रिम के लिए राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले अग्रिम की विनियमित करने वाले नियमों को पढ़ लिया है और उसमें दी गयी शर्तों को मानने के लिए सहमत हूँ।
3. जिस मकान के निर्माण के लक्ष्य में अग्रिम के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, बनवाना अभी प्रारम्भ नहीं किया है।
4. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी पत्नी/पति/आवश्यक बच्चे उस नगर/समूह टाउन/अरबन एग्लोमेरेशन में जहाँ सरकार से अग्रिम लेकर मकान बनाया जाता अथवा अर्जित किया जाना प्रस्तावित है, पहले से कोई मकान नहीं है।

प्रार्थी के हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

विभाग/कार्यालय.....

जिसमें वह नियुक्ति हो.....

1. निकटतम उच्च अधिकारी की सिफारिश

2. कम संख्या- 1 से 4 वी 3 तथा 14 अभिलेखों से प्रमाणित

3. संस्तुति करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम-मुहर सहित

नोट:- जो लागू न हो उन्हें काट दीजिए।

सिस्टम
निर्माण कर, उ० ५०